और महंगा होगा कॉमर्शियल अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन

राज्य ब्यूरो, पटना : रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने पहली अक्टूबर से निर्माणाधीन कॉमर्शियल अपार्टमेंट का रजिस्ट्रेशन शुल्क चार से बढ़ा कर पांच लाख करने का ऐलान कर दिया है। हालांकि, आवासीय अपार्टमेंट के मामले में रेरा ने राहत दी है, अक्टूबर में भी निबंधन शुल्क नहीं बढ़ाने का निर्णय किया है। यानी आवासीय अपार्टमेंट के लिए चार लाख रुपये या तय शुल्क का चार गुना विलंब शुल्क ही देना होगा। 31 अक्टूबर के बाद रेरा निबंधन शुल्क में इजाफा कर सकता है। रेरा के अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने बुधवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया। रेरा के सदस्य आरबी सिन्हा और सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि जो भी बिल्डर निबंधन कराये बिना परियोजना पर काम करते मिलेंगे, उन्हें रेरा की ओर से ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। यही नहीं, उनकी सूची भी देशभर में संबंधित संस्थानों को भेज दी जाएगी। खास बात यह है कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों के जो भी निदेशक या दूसरे पदधारक होंगे वह अपने नाम से कोई दूसरी कंपनी भी नहीं बना सकेंगे। उल्लेखनीय है कि निबंधन के लिए कई बार तारीख बढ़ाने के बाद रेरा अब प्रोमोटरों और बिल्डरों को और मौका देने के मूड में नहीं है।